



उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 44242 वर्ष 2025

राजेन्द्र

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

---

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : सरिता सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

---

**न्यायालय संख्या - 68**

**माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव**

आवेदक की विद्वान अधिवक्ता सुश्री सरिता सिंह तथा राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान जमानत आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत आवेदक राजेन्द्र की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसे मुकदमा अपराध संख्या 72 वर्ष 2019, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना हस्तिनापुर, जनपद मेरठ में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे पूर्वाग्रह के कारण इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। आवेदक के विरुद्ध दर्ज आठ आपराधिक मामलों का समुचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जा चुका है।

आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक न तो किसी गैंग का सदस्य है, न ही नेता या संगठक है तथा उसने अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) में वर्णित किसी गैंग की गतिविधियों में न तो सहायता की है और न ही उकसाया है। आवेदक का आपराधिक इतिहास उपर्युक्त प्रकरण

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



के अतिरिक्त नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से पलायन करने अथवा साक्षियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो 21.04.2019 से कारागार में निरुद्ध है, यह आश्वासन देता है कि यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया है कि न्यायालय में मामलों के भारी लंबित होने के कारण विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।

इसके विपरीत विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु आवेदक के विरुद्ध आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दर्शाए गए मामलों के अतिरिक्त कोई अन्य मामला इंगित नहीं किया।

प्रकरण के समस्त तथ्यों, अभिलेख से परिलक्षित साक्ष्य की प्रकृति तथा अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, तथा प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय की राय में यह जमानत प्रदान किए जाने योग्य प्रकरण है। अतः वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

अभियुक्त-आवेदक **राजेन्द्र** को उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में समान धनराशि के व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा दो विश्वसनीय प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए—

(i) आवेदक किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति को, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित हो, प्रलोभन, धमकी या वचन देकर न्यायालय अथवा पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्यों का प्रकटीकरण न करने हेतु प्रभावित नहीं करेगा तथा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों को किसी प्रकार का दबाव अथवा भय प्रदर्शित नहीं करेगा।

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (i) प्रकरण के उद्घाटन, (ii) आरोप विरचना तथा (iii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अन्तर्गत कथन दर्ज किए जाने की तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक यह वचनपत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर, जब गवाह उपस्थित हों, किसी भी प्रकार का स्थगन नहीं मांगेगा।

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



(v) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक नियत तिथि पर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निस्तारण हेतु सीमित है तथा इसे मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय साक्ष्य के आधार पर स्वतंत्र रूप से निष्कर्ष निकालने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव,)

12 जनवरी, 2026

सुमैरा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।